मेन्स मास्टर

चयन और निर्वाचन

संदर्भ

• भारत का चुनाव आयोग (ECI) एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी भारत में सभी चुनावों के आयोजन और देखरेख की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
• भारतीय लोकतंत्र की अखंडता के लिए ECI की स्वतंत्रता और निष्पक्षता आवश्यक है।

पृष्ठभूमि

• ऐतिहासिक रूप से, ECI में नियुक्तियों में स्पष्ट विधायी ढांचे का अभाव था, जो मुख्य रूप से कार्यकारी विवेक पर निर्भर करता था।
• मार्च 2023 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने औपचारिक प्रक्रिया की इस अनुपस्थिति को उजागर किया, जिसमें एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता को अनिवार्य किया गया जो ECI को सत्तारूढ़ सरकार के प्रभाव से दूर रखे।
• संसद द्वारा कानून बनाने के दौरान प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करते हुए एक अंतरिम चयन व्यवस्था लागू की गई।
• हालाँकि, इस नए कानून ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या यह स्वतंत्रता के बारे में न्यायालय की चिंताओं को सफलतापूर्वक संबोधित करता है।

नए कानून के तहत पहली नियुक्ति

• नए अधिनियमित कानून के अनुरूप दो नए चुनाव आयुक्तों की तुरंत नियुक्ति की गई।
• यह जल्दबाजी में की गई नियुक्ति तब हुई जब कानून की संवैधानिकता को लेकर कानूनी चुनौती अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी।
• संदेह को और बढ़ाते हुए, एक मौजूदा आयुक्त ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ समय पहले ही इस्तीफा दे दिया, और कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया।

चिंताएँ

• आलोचना का मूल चयन समिति की संरचना में निहित है। नया कानून कार्यकारी शाखा को बहुमत देता है, जिसमें प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री बनाम केवल विपक्ष का नेता (या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता) होता है।
• यह संभावित राजनीतिक पूर्वाग्रह के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा करता है जो ईसीआई की स्वायत्तता और चुनावों में एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की इसकी क्षमता से समझौता करता है।
• यह औचित्य कि प्रधानमंत्रियों ने पारंपरिक रूप से इस शक्ति को धारण किया है, वास्तव में एक स्वतंत्र चुनावी निकाय के संवैधानिक सिद्धांत के साथ संरेखित नहीं है।

आगे की राह

• भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करने का काम सौंपा गया है कि नए कानून द्वारा अनिवार्य चयन प्रक्रिया संविधान द्वारा मांगी गई स्वतंत्रता के मानक को पूरा करती है या नहीं।
• इस मामले का परिणाम यह निर्धारित करेगा कि क्या सुधार यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि ईसीआई अपनी अखंडता बनाए रखे, कार्यकारी प्रभाव से मुक्त रहे, और भारतीय चुनावों की निष्पक्षता की रक्षा करना जारी रख सके।

सीएए पर रोक लगाने संबंधी याचिकाओं पर 9 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

संदर्भ

• भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार कर रहा है।
• याचिकाकर्ता हाल ही में अधिसूचित सीएए नियमों पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि तत्काल कार्यान्वयन से अपरिवर्तनीय प्रभाव हो सकते हैं।

पृष्ठभूमि

• सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से सताए गए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों (गैर-मुस्लिमों) के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है।
• आलोचकों का तर्क है कि यह धर्म के आधार पर समानता और गैर-भेदभाव के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
• असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से CAA को जोड़ने पर चिंताएँ बढ़ जाती हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लोगों, जिनमें संभावित रूप से कई मुस्लिम भी शामिल हैं, को बाहर रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

• सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनावों से ठीक पहले 9 अप्रैल को CAA नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई।
• मुख्य न्यायाधीश ने तत्काल कार्यान्वयन के बारे में चिंताओं को कम करने का प्रयास किया, यह देखते हुए कि सरकार के पास बुनियादी ढाँचा तैयार नहीं हो सकता है।
• याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अगर सरकार CAA के तहत नागरिकता देना शुरू करती है, तो वे तत्काल अदालत का दरवाजा खटखटाने के अधिकार पर कायम हैं।

क्या है मुद्दा

• याचिकाकर्ताओं का दावा है कि धर्म के आधार पर नागरिकता मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और अगर दी जाती है, तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता।
• चिंताएं इस बात पर केंद्रित हैं कि एनआरसी के साथ मिलकर सीएए मुसलमानों के साथ भेदभाव कर सकता है, क्योंकि एनआरसी से बाहर रखे गए और सीएए के धार्मिक मानदंडों पर खरे न उतरने वाले लोगों को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
• तर्क यह भी बताते हैं कि सीएए अलग-अलग कट-ऑफ तिथियों वाले मौजूदा नागरिकता कानूनों का कैसे खंडन करता है।

निष्कर्ष

• सुप्रीम कोर्ट ने सीएए नियमों पर रोक लगाने के अपने फैसले को 9 अप्रैल तक टाल दिया।
• मुख्य मुद्दा यह है कि क्या फास्ट-ट्रैक नागरिकता के लिए सीएए के मानदंड भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और एनआरसी प्रक्रिया से बाहर रह गए लोगों को संभावित रूप से नुकसान पहुंचाते हैं।

बेंगलुरु में जल संकट के पीछे और परे

संदर्भ

• बेंगलुरु में पीने के पानी की गंभीर कमी है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियाँ बनती है। शहर में प्रतिदिन लगभग 500 मिलियन लीटर पानी की कमी है।
• यह संकट बेंगलुरु से आगे बढ़कर कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र को भी प्रभावित कर रहा है।

पृष्ठभूमि

• कर्नाटक में पिछले मानसून के दौरान सामान्य से 18% कम बारिश हुई, जिससे जलाशयों और भूजल पुनर्भरण पर असर पड़ा। यह पैटर्न सिर्फ़ कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है।

बेंगलुरु में जल संकट क्यों

• **वर्षा की कमी:** मानसून की विफलता पानी की कमी का तत्काल कारण है।
• **जलभृत प्रकृति:** दक्षिण भारत के चट्टानी जलभृतों में भंडारण सीमित है और वे जल्दी से पुनर्भरण करते हैं। वे उत्तर भारत के जलभृतों की तरह लंबे समय तक सूखे को झेल नहीं सकते।
• **घटते जलाशय:** कम वर्षा के कारण कर्नाटक के जलाशय केवल 26% क्षमता पर हैं।
• **शहरी पेयजल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना:** बेंगलुरु पाइप के ज़रिए आपूर्ति के लिए जलाशयों से पीने के पानी को प्राथमिकता देता है, जिससे भूजल पर निर्भर क्षेत्रों में संकट और बढ़ जाता है।

कारण

• **अनियमित निर्माण:** सावधानीपूर्वक योजना के बिना तेजी से शहरी विकास के कारण प्राकृतिक जल निकायों और जल निकासी प्रणालियों पर अतिक्रमण करने वाली इमारतें और बुनियादी ढाँचे बन सकते हैं। इससे वर्षा जल को अवशोषित करने की भूमि की क्षमता कम हो जाती है, जिससे भूजल पुनर्भरण प्रभावित होता है।

• **झीलों का विनाश:** झीलें और अन्य जल निकाय जल भंडारण, बाढ़ को नियंत्रित करने और भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहरी विस्तार अक्सर इन प्राकृतिक संसाधनों के विनाश की ओर ले जाता है, जिससे जल चक्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

• **प्राकृतिक जल प्रवाह में व्यवधान:** शहरी विकास सड़कों और पार्किंग स्थलों जैसी अभेद्य सतहों का निर्माण कर सकता है, जिससे वर्षा जल स्वाभाविक रूप से जमीन में नहीं जा पाता। इससे पानी का प्रवाह बदल जाता है, जिससे अपवाह होता है और भूमिगत जल स्रोत कम होते हैं।

समाधान

• **दीर्घकालिक योजना:** टिकाऊ शहरी डिजाइन को शहर की योजना में एकीकृत करने की आवश्यकता है। इसमें शामिल हैं:
  ○ मौजूदा जल निकायों की सुरक्षा करना।
  ○ भूजल पुनर्भरण के लिए हरित स्थान और पारगम्य सतह बनाना।
  ○ पानी को इकट्ठा करने और संग्रहीत करने के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली।
• जल संरक्षण प्रोत्साहन: जल संरक्षण को प्रोत्साहित करें:
  ○ जल का मूल्य उसके वास्तविक मूल्य को दर्शाने के लिए निर्धारित करें।
  ○ जल-कुशल उपकरणों और प्रथाओं को बढ़ावा दें।
  ○ जल के व्यर्थ उपयोग पर दंड लगाएँ।
• **भूजल विनियमन:** भूजल निष्कर्षण, विशेष रूप से घरेलू पम्पिंग के लिए सख्त विनियमन लागू करें। गैर-पीने के उद्देश्यों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग जैसे विकल्पों की खोज करें।

भारत के शहरीकरण के लिए सबक

• **जलवायु-लचीला शहरी नियोजन:** भारतीय शहरों को अपनी विकास योजनाओं में जलवायु जोखिम आकलन और अनुकूलन रणनीतियों को एकीकृत करने की आवश्यकता है।
• **विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन:** दूर के जलाशयों पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय जल संचयन और भंडारण समाधानों को प्रोत्साहित करें।
• **प्रकृति-आधारित समाधान:** जल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए शहरी परिदृश्य के भीतर आर्द्रभूमि, झीलों और हरित स्थानों को पुनर्स्थापित और संरक्षित करें।

आगे की राह

• **सामुदायिक भागीदारी:** जल-सचेत समाज बनाने के लिए जल संरक्षण अभियान और जागरूकता कार्यक्रम
• **नीतिगत बदलाव:** शहरी विकास नीतियों में पारिस्थितिकी संबंधी चिंताओं और दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता दें।
• **नवाचार:** जल-कुशल प्रौद्योगिकियों और टिकाऊ जल प्रथाओं में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करें।

क्या कथित रूप से अपमानजनक सामग्री को रीट्वीट करना मानहानि के बराबर है?

संदर्भ

• सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के मामले पर रोक लगा दी है, क्योंकि उन्होंने भाजपा आईटी सेल के खिलाफ मानहानि करने वाला एक वीडियो रीट्वीट किया था।
• केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था और उन पर आपराधिक आरोप लगाए जा सकते हैं।

पृष्ठभूमि

• यह मामला यूट्यूबर ध्रुव राठी के 2018 के एक वीडियो से जुड़ा है, जिसे केजरीवाल ने रीट्वीट किया था।
• शिकायतकर्ता का आरोप है कि वीडियो में उनके खिलाफ मानहानि करने वाले बयान शामिल हैं।

मानहानि क्या है?

• **भारतीय कानून:** मानहानि एक सिविल गलत (टोर्ट कानून के तहत) और एक आपराधिक अपराध (आईपीसी धारा 499) दोनों है।
• **आपराधिक मानहानि:** इसमें जानबूझकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना शामिल है, जिसके लिए 2 साल तक की जेल हो सकती है।
• **मुक्त भाषण के बारे में विचार:** अनुच्छेद 19(1)(ए) मुक्त भाषण की रक्षा करता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) मानहानि कानूनों सहित "उचित प्रतिबंधों" की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन कानूनों को बरकरार रखा है तथा तर्क दिया है कि प्रतिष्ठा अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) के अंतर्गत आती है।

कानून में मानहानि की परिभाषा कैसे दी गई है?

• आईपीसी की धारा 499: किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने या उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई बयान देना या प्रकाशित करना।
• **मुख्य तत्व:**
  ○ लोगों की नज़रों में प्रतिष्ठा को कम करना।
  ○ किसी तीसरे पक्ष को मानहानि करने वाले बयान का संचार करना।

मुख्य चिंता: रीट्वीट और मानहानि

• **विस्तार:** रीट्वीट करने से पहुंच बढ़ती है, जिससे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है।
• **समर्थन बनाम साझाकरण:** समर्थन के रूप में रीट्वीट करने या केवल जानकारी साझा करने के बीच कानूनी अंतर पर बहस होती है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

• ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई, यह स्वीकार करते हुए कि रीट्वीट करना हमेशा समर्थन के बराबर नहीं होता।
• केजरीवाल के वकील ने अनपेक्षित परिणाम होने पर माफ़ी मांगने की इच्छा व्यक्त की।

आगे की राह

• यह मामला डिजिटल युग में मुक्त भाषण और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के बीच तनाव को उजागर करता है।
• यह निम्नलिखित के बारे में प्रश्न उठाता है:
  ○ राय की अभिव्यक्ति के रूप में रीट्वीट का कानूनी महत्व।
  ○ सार्वजनिक हस्तियों द्वारा साझा की जाने वाली ऑनलाइन सामग्री के लिए उनकी जिम्मेदारी।
  ○ मुक्त भाषण सिद्धांतों के भीतर इन विचारों को संतुलित करने की आवश्यकता।

प्रीलिम्स बूस्टर

भारत कार्बन बाजार पर अमेरिकी नेतृत्व वाले आईपीईएफ सहकारी कार्य कार्यक्रम में शामिल होगा

- 🌍 भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) के तहत कार्बन बाजार गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने पर सहकारी कार्य कार्यक्रम में भाग लेने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य देश के कार्बन बाजारों को गहरा करना और कार्बन ट्रेडिंग के लिए वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करना है, जिसमें ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इस पहल का नेतृत्व कर रहे हैं।
- 💡 अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा शुरू किए गए और 14 क्षेत्रीय भागीदारों को शामिल करने वाले IPEF में कनेक्टिविटी, लचीली आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा और निष्पक्ष व्यापार सहित चार स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें भारत ने खुद को व्यापार घटक से बाहर रखते हुए स्वच्छ ऊर्जा स्तंभ में शामिल होने का विकल्प चुना है, जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और सहयोगी पहलों के माध्यम से ऊर्जा स्थिरता को बढ़ाने के प्रयासों को दर्शाता है।
- ⚡ भारत का विद्युत मंत्रालय स्वच्छ बिजली और टिकाऊ विमानन ईंधन पर सहकारी कार्य कार्यक्रमों में भागीदारी पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और टिकाऊ प्रथाओं को आगे बढ़ाने के अवसरों की खोज कर रहा है, जिसमें संभावित लाभों का मूल्यांकन करने और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखण के लिए संबंधित मंत्रालयों के भीतर चल रही चर्चाएँ शामिल हैं।
- 🛫 आईपीईएफ के तहत सहकारी पहलों में भागीदारी कार्बन बाजारों, स्वच्छ ऊर्जा समाधानों और टिकाऊ प्रथाओं के विकास में तेजी लाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने और हरित और अधिक लचीले भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है।

राज्यों ने ऋण के रूप में रिकॉर्ड 50,206 करोड़ रुपये जुटाए, बांड प्रतिफल में बढ़ोतरी

- 💰 भारत में राज्य सरकारों ने तरलता दबाव के बीच साप्ताहिक लक्ष्यों को पार करते हुए एसडीएल बॉन्ड नीलामी के माध्यम से रिकॉर्ड ₹50,206 करोड़ जुटाए।
- 📈 एसडीएल बॉन्ड की पैदावार बढ़कर 7.45% हो गई, जिससे केंद्र सरकार के बॉन्ड की पैदावार के साथ अंतर बढ़ गया।
- 📆 अगले सप्ताह ₹29,400 करोड़ के लक्ष्य के साथ अंतिम नीलामी; उधार लेने की लागत उच्च रहने की उम्मीद है।
- 🏦 राज्यों ने इस वर्ष ₹9.28 लाख करोड़ उधार लिए, जो अनुमानित राशि से कम होने की संभावना है।